अनवान–मांगीलाल बनाम सुगणी वगैरा
प्रकरण संख्या 253/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या–253/2025
पीठासीन अधिकारी– बद्रीनारायण, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
प्रार्थी–

1. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम जाति बिश्नोई निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण–

1. सुगणी पुत्री विरधाराम पत्नी मंगलाराम
2. भजनलाल पुत्र मंगलाराम जातियान बिश्नोई निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
3. करनाराम पुत्र विरधाराम
4. जगराम पुत्र विरधाराम
5. भेराराम पुत्र विरधाराम
6. भागीरथराम बिश्नोई पुत्र विरधाराम
7. मंगलाराम पुत्र विरधाराम
8. सोनाराम पुत्र विरधाराम
9. केसी पुत्री विरधाराम
10. मेशी पुत्री विरधाराम जाति बिश्नोई निवासी रोहिला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
11. राज्य सरकार जरिए, भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण– प्रार्थीगण वकील– श्री श्रीराम विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 के वकील– श्री दोषमोहम्मद।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.03.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:54 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40 एवं सहपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत [illegible] में प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

...थ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता विप्रार्थी संख्या 01 एवं शेष विप्रार्थीगण के संयुक्त अविभाजित, पुश्तैनी कब्जा –काश्त के खेत मौजा–रोहिला पटवार मण्डल सोनडी के खसरा संख्या 265 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300/64 रकबा 18.6479 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4 रकबा 3–2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 425/252 रकबा 11.0398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 रकबा 5.0828 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 0.0081 हैक्टेयर जुमले रकबा 40.6384 हैक्टेयर के आए हुए है। जो वक्त सेटलमेंट प्रार्थी के नाना स्व. विरधाराम के नाम से खातेदारी में इंद्राज था। वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित न होकर के सहदायिक सम्पति है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र एवं पुत्री भी सहदायिक है तथा सहदायिकी सम्पति में पुत्रों एवं पुत्रियों का बराबर हिस्सा बनता है एवं इस प्रकार से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष विरधाराम के नाम से दर्ज थी, प्रार्थी के नाना एवं विप्रार्थी संख्या 01 के पिता विरधाराम फौत होने से प्रार्थी की माता सुगणी यानि विप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी में इंद्राज हुई। इसी प्रकार प्रार्थी के नाना विरधाराम फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 01 सुगणी को अपने पिता की सम्पति विरासत से प्राप्त हुई । विरासत में प्राप्त इस सहदायिकी सम्पति में विप्रार्थी संख्या 01 के समस्त पुत्र एवं पुत्रियों के अधिकार अपनी माता की जमीन में पैदा हो गए है। इस प्रकार उपर्युक्त वादग्रस्त सहदायिकी आराजी मौजा–रोहिला पटवार मण्डल सोनडी के खसरा संख्या 265 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300/64 रकबा 18.6479 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 425/252 रकबा 11.0398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 रकबा 5.0828 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 0.0081 हैक्टेयर जुमले रकबा 40.6384 हैक्टेयर भूमि में पुशतैनी आराजी की होने से प्रार्थी का अपनी माता विप्रार्थी संख्या 01 के 1/9 हिस्सा का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/27 हिस्सा खातेदारी में बनता है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप विवादित भूमि में विप्रार्थी संख्या 01 के साथ प्रार्थी को सहखातेदार घोषित करते हुए पुत्र एवं पुत्री भूमि पुश्तैनी आराजी की होने से प्रार्थी का अपनी माता विप्रार्थी संख्या 01 के पैतृक 1/9 हिस्सा का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/27 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त है तथा मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी, पशुबाड़ा, चारागाह, टांका इत्यादि बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का मौके पर अपने हिस्से माफिक कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी, पशुबाड़ा, चारागाह, टांका आदि बने हुए है, परंतु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसके हिस्से की पुश्तैनी भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थी को यह भी धमकियाँ दे रहे है कि यदि वह प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने में कामयाब नहीं हुए तो आराजी सरजोर व्यक्तियों की मदद से प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे। इसलिए प्रार्थी विप्रार्थी के तरूद्द इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:54 IST
Reason: Sealed

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अधिकारी है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा न ही उक्त भूमि का बेचान एवं आवंटन या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण करे। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। जिसके लिए यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना – पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता विप्रार्थी संख्या 01 व शेष विप्रार्थीगण के संयुक्त अविभाजित, पुश्तैनी कब्जा –काश्त के खेत मौजा–रोहिला पटवार मण्डल सोनडी के खसरा संख्या 265 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300/64 रकबा 18.6479 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा संख्या 425/252 रकबा 11.0398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5 रकबा 5.0828 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 0.0081 हैक्टेयर जुमले रकबा 40.6384 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी स्वयं करे अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। शपथ पत्र साथ संलग्न है।''

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 253/2025 उनवान मांगीलाल बनाम सुगणी वगैरा में दिनांक 19.08.2025 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश द्वारा तहसील सेड़वा के मौजा रोहिला पटवार क्षेत्र सोनड़ी भू.अ.नि. सोनड़ी के नया खाता संख्या 37, खसरा संख्या 265 रकबा 2–5819 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 300/64 रकबा 18–6479 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 4 रकबा 3–2779 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 425/252 रकबा 11–0398 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 5 रकबा 5–0828 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया।

विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पदवार जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्यो तथा विधि विरूद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40 रा.का. अधि. व सपठित धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अदालत हाजा में प्रस्तुत किया गया हैं जो विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी को सफलता मिलने में कोई संभावना नही हैं। मौजा रोहिला पटवार क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 की पैतृक खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300/64 रकबा 18.6479 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425/252 रकबा 11.0398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 5.0828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 रकबा 0.0081 हैक्टेयर जुमले रकबा 40.6384 हैक्टेयर के आये हुए हैं। विप्रार्थी संख्या 01 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:35:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

3 से 10 की खातेदारी खेत मौजा रोहिला पटवार क्षेत्र सोनडी तहसील सेंड़वा जिला बाड़मेर में विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 की पैतृक खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 2.5819 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300/64 रकबा 18.6479 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425/252 रकबा 11.0398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 5.0828 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 63 रकबा 0.0081 हैक्टेयर जुमले रकबा 40.6384 हैक्टेयर के आये हुए है, जिसमें प्रार्थी ने पैतृक खातेदारी की घोषणा करवाने का वाद प्रस्तुत कर अपना हिस्सा मांगा हैं। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने में कोई संभावना नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्यों व विधि विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश कर उक्त खसरान पर एकतरफा स्थगन आदेश लिया गया हैं कि विप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि हैं। एक स्त्री को उसके पिता से प्राप्त भूमि उस स्त्री की स्वअर्जित भूमि कहलाती हैं। उक्त भूमि में उस स्त्री का पुत्र या पुत्रियां घोषणा का दावा नहीं कर सकते हैं इस कारण प्रार्थी सिर्फ विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 को परेशान करने व उक्त भूमि कार्य नहीं करने के आशय से प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश लिया गया हैं कि उक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत किया गया हैं उसका अधिकार प्रार्थी को नहीं हैं। उक्त खसरान पर प्रार्थी के द्वारा लिया गया एकतरफा स्थगन आदेश से विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं व विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 10 अपने खेत की नेखमबंदी व विद्युत कनेक्शन व फसल ऋण लेने में अडचन आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन जो अपने दादा की संपति में हिस्से की मांग की हैं जो विधि विरूद्ध हैं क्योंकि प्रार्थी की माता को भी विप्रार्थी बनाकर तथ्यहीन आधार पर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया, जों विधि विरूद्ध हैं। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कई बार स्पष्ट किया हैं कि अन रेकर्ड व्यक्ति को एकतरफा स्थगन देना विधि की हत्या के समान हैं। नाना की सम्पति में पहला अधिकार उसकी संतान का होता हैं तथा दोहिता (पुत्री का पुत्र) नाना का प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं हैं दोहिता का अधिकार मां के माध्यम से मिलता हैं न कि सीधे नाना से इसलिए दोहिता सीधा खातेदारी घोषणा का दावा नहीं ला सकता हैं अर्थात प्रार्थी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। जो खारिज योग्य हैं। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणी, पशुबाड़ा, टांका इत्यादि बना हुआ नहीं हैं तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी कोई कब्जा नही आया हुआ है तथा प्रार्थी मनगढंत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जो खारिज योग्य है। अतः विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेकसंगत अध्ययन, अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथा संलग्न दस्तावेजात पर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र व विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संबंध में प्रस्तुत पदवार जवाब मय आपतियों में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत हस्तगत प्रकरण में सुविधा संतुलन, प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस कारण विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब को स्वीकार किया जाता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 01 व 03 से 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 253/2025 में दिनांक 19.08.2025 को अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) मेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:54 IST
Reason: SelfAttested